

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०)

क्रमांक / 214 / वाचक / अ०वि०अ० / 2025

रामानुजगंज, दिनांक 21 / 03 / 2025

प्ररूप-ड.
(नियम-7(2) देखिये)
अनुशंसा

प्रति,

राजकुमार गुप्ता आ० सागरचन्द गुप्ता,
जाति- कलार, निवासी ग्राम-बेलकुर्ता
तहसील-रामचन्द्रपुर
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०)

विषय :- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुशंसा।

-: 000 :-

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 24/02/2025 को इस कार्यालय में प्राप्त। वन विभाग व हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 20/03/2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :-

स० क्र०	प्रजाति	छाती की गोलाई	ख०न०
1.	साल	230 से०मी०	437
2.	साल	330 से०मी०	4371
3.	साल	350 से०मी०	893
4.	साल	280 से०मी०	893
5.	साल	390 से०मी०	893
6.	साल	270 से०मी०	893
7.	साल	300 से०मी०	893
8.	साल	270 से०मी०	893
9.	साल	260 से०मी०	893
10.	साल	350 से०मी०	893

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निकर्ष पर पहुँचता कि ख०न० 437 रकबा 2.99 हे० ग्राम- बेलकुर्ता, प०ह०न०-11 तहसील- रामचन्द्रपुर स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति सरल क्र०.-01 व 2 में, साल वृक्ष व ख०न० 893 रकबा 4.13 हे० ग्राम- बेलकुर्ता, प०ह०न०-11 तहसील- रामचन्द्रपुर स्थित साल वृक्ष जिनकी प्रजाति सरल क्र०.-03 से 10 में, साल वृक्ष, उल्लेखित वृक्षों, कुल संख्या 10 वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः उपरोक्त 10 नग साल वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम 1959 (क्र० 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अन्तर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शुन्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

Devenchy
अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
रामानुजगंज

प्रतिलिपि,

- 1- कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०) की ओर सूचना सम्प्रेषित।
- 2- वन मण्डलाधिकारी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ।
- 3- वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ।

Devenchy
अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
रामानुजगंज